आदेश

11.05.2018

यह पत्रावली बमुकाम अटल सेवा केन्द्र कवास पर पेश हुई। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि प्रार्थी ने धारा 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम काऊ का खेड़ा पटवार क्षैत्र कवास में स्थित खेत खसरा संख्या 131 रकबा 31.18 बीघा भूमि आई हुई है, जिसमे प्रार्थी का निवास है। अप्रार्थीगण की खातेदारी का खेत उसके सेढा पर आया हुआ है, अप्रार्थीगण ने सीमाज्ञान के आधार पर उसके काश्त व कब्जे में रूकावट पैदा कर रहे है। अप्रार्थीगण अनाधिकृत रूप से प्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है, जिसे निषेधाज्ञा जारी कर रोके जाने का निवेदन किया।

प्रकरण पंजीयन कर अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थीगण ने आज दिन तक कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी करने का प्रथम दृष्टया कोई आधार प्रकट नही होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निराधार होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) बाडमेर

Scanned by CamScanner